न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या –76/2025

राजेश वगै0 बनाम सरदार वगै0

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0

प्रार्थीगण की ओर से श्री शिवचरण शर्मा एड0

अप्रार्थीगण की ओर से श्री राजाराम गुर्जर एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक** 11/11/2025

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 909 रकबा 0.7600 है0, 909/927 रकबा 0.7600 है0 किस्म बारानी वाके ग्राम रेटा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है, उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 497/3 रकबा 3 बीघा, एवं 497/2 रहे है। हाल खसरा नम्बर 909, 909/927 की तरमीम सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा दर्ज रकबा जमाबंदी एवं मौके अनुसार नहीं की जाकर विधि विपरीत तरीके से वर्तमान राजस्व नक्शाशीट में की गई तरमीम रकबा दर्ज जमाबंदी अनुरूप नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान का रकबा 6 बीघा रहा है जबकि सेटलमेण्ट विभाग द्वारा वर्तमान राजस्व नक्शाशीट में की गई तरमीम से प्रार्थीगण का रकबा कम हो गया है। प्रार्थीगण की भूमि के समीपस्थ अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि स्थित है जिसकी आड में अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि में होकर जबरन आम रास्ता बनाने व प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है प्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता कायम करने पर आमादा है। यदि अप्रार्थी अपने उक्त बेजा मकसद की पूर्ति में कामयाब हो जावेगे तो प्रार्थीगण अपने हक अधिकारों से महरूम हो जावेगे इसलिए प्राईमा फैसाई केस सुविधा का संतुलन अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में है इसलिए जब तक मूल वादपत्र का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक जारी अस्थाई निषे0 को कन्फर्म किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया जो कि खारिज योग्य है। सेटलमेण्ट कब किस वर्ष में हुआ था इसका कोई विवरण प्रार्थना पत्र में जानबूझकर दर्ज नहीं किया गया है। वास्तव में प्रार्थीगण की भूमि के संबंध में सैटलमेण्ट द्वारा कोई गलती नहीं की गई है, प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

द्वारा महज अप्रार्थी को हैरान परेशान करने की नियत से पेश किया गया है। साथ ही अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने निवेदन किया कि विवादित भूमि में होकर लम्बे समय से मौके पर चालू रास्ता रहा है जिसे दर्ज किए जाने के संबंध में पृथक से कार्यवाही विचाराधीन है। प्रार्थीगण न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश की आड में मौके पर चालू रास्ते को बंद करना चाहते है एवं नियमानुसार रास्ता दर्ज होने से रोकना चाहते है इसीलिए अस्थाई निषे0 प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इसलिए सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त अप्रार्थी के पक्ष में है इसलिए जारी अस्थाई निषे0 को खारिज कियाजावे।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा यह मुख्यतः यह उज्र पेश किया है कि प्रार्थीगण की भूमि का रकबा तरमीम में कम कर दिया गया है तथा अप्रार्थी जबरन प्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता कायम करना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अथवा दौराने बहस भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनकी भूमि का कितना रकबा कम हुआ है अथवा उक्त रकबे की पूर्ति किस नम्बर से की जानी है। प्रार्थीगण का अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जबरन रास्ता निकालने के संबंध में किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि में होकर बिना विधिक प्रकिया अपनाए जबरन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। लेकिन यदि रास्ता दर्ज करने हेतु यदि कोई कार्यवाही विधिक प्रावधानों के अनुरूप की जाती है तो उसे इस स्थगन आदेश से रोका जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहे है कि उन्हें कोई अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी के पक्ष में है एवं सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए अन्तरिम अस्थाई निषे0 खारिज किया जाना न्यायोचित है।

अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषे0 दिनांक 19.06.2025 को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति तक खारिज किया जाता है। तथा मौके के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 को पाबंद किया जाता है कि बिना विधिक प्रकिया अपनाएं प्रार्थीगण की भूमि में होकर रास्ता कायम नहीं करें लेकिन यदि विधिक प्रकिया द्वारा रास्ते के संबंध में कोई कार्यवाही की जाती है तो इस स्थगन से प्रभावित नहीं होगी।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय, जिला दौसा
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय